राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान

(A Statutory Institute governed by the NIFT Act 2006 and set up in 1986 under the Ministry of Textiles, Govt. of India)

शैक्षणिक विभाग -निफ़्ट मुख्यालय निफ़्ट कैंपस, हौज़ खास,निकट गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली /New Delhi – 110016

1400(273)/Head-AA/SOA/Jan-June/2022

09.01.2022

विषय : निफ्ट के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हेतु निर्देश

Sub: Instruction for joining online classes for NIFT students

वर्तमान कोविड स्थिति के चलते, आगामी सेमेस्टर के पहले दो महीनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। इससे पूर्व कोविड के कारण छात्रों को हाजिरी/उपस्थिति में छूट दी गई थी। किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि आगामी सेमेस्टरों से हाजिरी/उपस्थिति के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी और सभी छात्रों को अपने वीडियो कैमरा के समक्ष सभी कक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य होगा। केवल सम्पूर्ण ऑनलाइन कक्षा लेने वाले छात्रों को फैकल्टीयों द्वारा स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रमाणित एवं चिंहित किया जायेगा तथा हाजिरी/उपस्थिति प्रदान की जाएगी।

सेमेस्टर के अंत में, हाजिरी/उपस्थिति की गणना निफ्ट नीति के अनुसार की जाएगी, जिसमें छात्रों को अंतिम अवधि (End term) की परीक्षा में बैठने के लिए लिए न्यूनतम 75% कुल उपस्थिति और 65% विषयवार हाजिरी/उपस्थिति की आवश्यकता होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

With the current Covid situation, the upcoming semester will be transacted through online mode for the first two months. The students have been given attendance relaxation due to Covid for the earlier semesters. However, it may be noted that from the upcoming semester no relaxation for attendance will be given and it will be mandatory for all students to join all classes with their video camera on. The faculty will be taking the screenshots and only the students who join with their videos on for the entire class duration, will be marked present.

At the end of the semester, attendance will be duly calculated as per the NIFT attendance policy wherein students will be required to have minimum 75% overall attendance and 65% subject wise attendance to be eligible for appearing in the end term examination.

This issues with the approval of competent authority.

(प्रो. डॉ. शिञ्जू महाजन) प्रमुख (शैक्षिक कार्य) विभाग - मुख्यालय

सेवा में.

1. सभी निफ्ट कैंपस निदेशक/ संयुक्त निदेशक/सी.ए.सी (सभी शिक्षकों और छात्रों के बीच प्रसारित करने हेत्)

प्रतिलिपि :-

- डीन (शैक्षणिक)
- 2. प्रमुख -ईआरपी (सीएमएस पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)
- 3. वेबमास्टर (वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)
- 4. महानिदेशक, निफट के निजी सचिव: सूचनार्थ